संख्या :3956/उ/ श0वि0 / आ0–04–269(श0वि0) / 2002

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्धकुम्भ मेला–2004
हरिद्वार, उत्तरांचल ।

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग–1

देहरादून, दिनांक 06- सितम्बर, 2004

विषय : वित्तीय वर्ष 2003–04 अर्द्धकुम्भ मेला–2004 हरिद्वार में किये जा रहे निर्माण कार्यों की "थर्ड पार्टी ऐश्योरेन्स" के अन्तर्गत कार्यों के अध्ययन हेतु परामर्श शुल्क की द्वितीय किश्त की वर्ष–2004–2005 में स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1661 / श0वि0–आ0–2003– 269(श0वि0) / 2002, दिनांक: 11 जून,2003 के द्वारा अर्द्धकुम्भ मेला–2004 हरिद्वार में विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की "थर्ड पार्टी ऐश्योरेन्स" व्यवस्था हेतु आई0आई0टी0, रूड़की से अनुबन्ध किये जाने हेतु आपको अधिकृत किया गया था. अर्द्धकुम्भ मेला 2004 के निर्माण कार्यों की तकनीकी अध्ययन एवं परामर्श हेतु आई0आई0टी0, रूड़की से निष्पादित अनुबन्ध अर्थात् रू0 20.53लाख की धनराशि अग्रिम के रूप में शासनादेश संख्या–1699 / श0वि0–आ0–2003–269(श0वि0) / 2002, दिनांक: 28 मार्च,2004 द्वारा स्वीकृतकी गयी थी, के कम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य हेतु द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 20.53(रू0 बीस लाख तिरपन हजार मात्र)लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर निदेशक, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, रूड़की को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और इस धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिये किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना / मद में नहीं किया जा सकेगा।

(3) उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जाती है कि आई0आई0टी0, रूड़की से न्याय विभाग / वित्त विभाग से विधीक्षित अनुबन्ध पत्र

हस्ताक्षर/सहमति प्राप्त होने के पश्चात ही धनराशि आहरित कर अवमुक्त की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त किश्त के लिए इसके पूर्व धनराशि स्वीकृत करके आहरित नहीं की गयी है।

(5) उक्त धनराशि आई0आई0टी0, रूड़की के साथ किये गये अनुबन्ध पत्र में उल्लिखित समस्त उपबन्धों एवं प्राविधानों तथा अनुबन्ध पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए ही निर्गत की जायेगी ।

(6) उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2004–2005 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य– 01–केंन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–01–हरिद्वार कुम्भ मेला हेतु अवस्थापना सुविधा–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0: 1029 वि0अनु0–3/2003 दि0 31 अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

संख्या : 3956 (I)/श0वि0/आ0–04 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), लेखा परीक्षा उत्तरांचल, देहरादून ।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कैम्प कार्यालय, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
4. निदेशक, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, रूड़की।
5. श्री एल0एम0 पन्त, वित्त, बजट अनुभाग।
6. नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
9. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव,

0609040217.pdf